पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 ई0 (कार्तिक 09, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–44

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	713–724	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	–	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	07–23	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–2

कार्यालय–ज्ञाप

13 अक्टूबर, 2015 ई0

संख्या 481/XV–2/02(22)/2005–डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड में श्रेणी "ख" सहायक निदेशक, डेरी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400, के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 20 अगस्त, 2015 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 298/56/02/डी0पी0सी0(से0नि0)/सेवा–1/2014–15, दिनांक 21 सितम्बर, 2015 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों, वेतनमान ₹ 93,000–34,800, ग्रेड पे ₹ 4,200, को सहायक निदेशक, डेयरी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400, के पद पर तात्कालिक प्रभाव से अस्थाई रूप से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पदोन्नति करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नाम, पदनाम	पदोन्नति के बाद पदनाम
1.	श्री सुनील अधिकारी, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, चम्पावत	सहायक निदेशक
2.	श्री प्रेमलाल, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, टिहरी	सहायक निदेशक

2. उपरोक्त कार्मिकों को संगत विभागीय नियमावली में निहित प्राविधान अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त कार्मिकों की जनपदों में पदस्थापना/स्थानान्तरण के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–8

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2015 ई0

संख्या 72/XX(8)2015–12(28)2013–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित Crime and Criminal Tracking Network & Sysyems (CCTNS) योजना के अन्तर्गत पुलिस की दक्षता एवं प्रभावकारिता में वृद्धि किये जाने तथा पुलिस थानों में संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उनके संदर्भ में दर्ज की जाने वाली अन्तिम रिपोर्ट को कम्प्यूटराइज्ड किये जाने एवं राष्ट्रीय स्तर पर उनमें एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154, 155 एवं 173 के प्रयोजन हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रपत्रों के स्थान पर संज्ञेय अपराध हेतु इस अधिसूचना के परिशिष्ट–1, असंज्ञेय अपराध हेतु परिशिष्ट–2 एवं आरोप–पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट के अंकन हेतु परिशिष्ट–3 के रूप में संलग्न प्रपत्रों को तत्काल प्रभाव से विहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के फलस्वरूप राज्य के सभी थानों में Crime and Criminal Tracking Network & Sysyems (CCTNS) योजना के अन्तर्गत अपराधों का पंजीकरण किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुलिस थाने में कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त प्रपत्रों के माध्यम से अपराध पंजीकरण तथा आरोप–पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट दर्ज किया जाना सम्भव न हो तो अपरिहार्य परिस्थितियों में विहित प्रपत्रों की जिल्द में हस्तलिखित रूप में उक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

परिशिष्ट–1

परिशिष्ट–2

परिशिष्ट–3

परिशिष्ट–1

अधिसूचना संख्या 72/XX(8)2015–12(28)2013, दिनाँक 12 अक्टूबर, 2015 का परिशिष्ट–1

I.I.F.–1/एकीकृत जाँच फार्म–1

FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr. P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. District (जिला)..... P.S. (थाना)..... Year (वर्ष)..... FIR No. (प्र0सू0रि0सं0)..... Date (दिनांक).....

2. (i) Act (अधिनियम).....Sections (धाराएँ).....

(ii) Act (अधिनियम).....Sections (धाराएँ).....

(iii) Act (अधिनियम).....Sections (धाराएँ).....

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराएँ).....

3. (a)(क) Occurrence of offence (घटना का) Day (दिन)..... Date from (दिनाँक से).....Date to (दिनाँक तक).....

Time Period (पहर).....Time from (बजे से).....Time to(बजे तक).....

(b)(ख) Information received at P.S. (थाने पर प्राप्त सूचना) : Date (दिनाँक)..... Time(समय).....

(c)(ग) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं0).....Time(समय).....

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुई) : Written/Oral (लिखित/मौखिक) :

5. Place of Occurrence : घटनास्थल का ब्यौरा (a)(क) Direction and distance from P.S.(थाने से दिशा एवं दूरी).....

.....Beat No. (बीट सं0).....

(b)(ख) Address (पता).....

.....

(c)(ग) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) :

Name of P.S. (थाने का नाम)..... District (जिला).....

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला) :

(a)(क) Name (नाम).....

(b)(ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम).....

(c)(ग) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)..... (d)(घ) Nationality (राष्ट्रीयता).....

..(e)(ङ) Passport No. (पासपोर्ट सं0).....

Date of Issue (जारी करने की तिथि).....Place of Issue (जारी करने का स्थान).....

(f)(च) Occupation (व्यवसाय).....

(g)(छ) Address (पता).....

7 Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) : (Attach separate sheet, if necessary) (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

(1) .....

(2) .....

(3) .....

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण)

.....

.....

.....

9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण)/ (Attach separate sheet, if necessary) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

.....

.....

.....

10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य).....

11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट)/U.D. case No. (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0)/if any (यदि कोई हो तो).....

12. F.I.R. contents (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (Attach separate sheet, if required): (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

13. Action taken (की गई कार्यवाही)/Since the above information reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at item No. 2 ; चूँकि उक्त सूचना द्वारा, मद सं0 2 पर उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध होने का पता चलता है:

(1) Registered the case and took up the investigation or (मामला पंजीकृत किया और जाँच आरम्भ की गई या)

(2) Directed Sh./Smt./Km. (Name of I.O.)/श्री/श्रीमति/कु0 (जाँच अधिकारी का नाम).....
Rank (पद).....No. (सं0).....to take up the Investigation or (को जाँच आरम्भ करने के निर्देश दिये गए या)

(3) Refused investigation due to (जिन कारणों से जाँच करने से इन्कार किया गया).....
.....or (या)

(4) Transferred to P.S. (मामला स्थानान्तरित किया गया, थाने का नाम).....
District (जिला).....on point of jurisdiction (क्षेत्राधिकार की दृष्टि से)।

F.I.R. read over to the complainant/ informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost.

(प्र0सू0रि0 शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई गई, जिसने सही लेखन की पुष्टि की और शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले को एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई।)

R.O.A.C. (पढ़कर सुनाया और सही पाया गया।)

Signature of Officer-in-Charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature/Thumb impression of the complainant/informant.

(शिकायतकर्ता /इत्तिला देने वाले के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

Name (नाम).....

Rank (पद).....No. (संख्या).....

15. Date and time of despatch to the Court (न्यायालय को भेजने की तिथि और समय).....

Attachment to item 7 of First Information Report
प्रथम सूचना रिपोर्ट की मद संख्या 7 की संलग्नक

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused (If known/seen)
संदिग्ध/अभियुक्त की शारीरिक बनावट, विकृतियाँ तथा अन्य विवरण (यदि ज्ञात हों/देखे गए हों)

Sl. No. क्र0 सं0	Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतिथि/वर्ष	Build शारीरिक बनावट	Height (cms.) कद (से0मी0 में)	Complexion रंग	Identification Mark (s) पहचान के चिन्ह
1	2	3	4	5	6	7

Deformities/ Peculiarities विकृतियाँ/ विशिष्टियाँ	Teeth दाँत	Hair बाल	Eyes आँखें	Habit(s) आदतें	Dress Habit(s) पहनावा
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect भाषा/बोली	PLACE OF शरीर के किस हिस्से पर, निम्नलिखित चिन्ह मौजूद हैं ?				
	Burn Mark जले हुए का	Leucoderma धवल रोग	Mole मस्सा	Scar घाव	Tattoo गुदे हुए का
14	15	16	17	18	19

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
इन मदों में प्रविष्टि तभी की जाएगी यदि शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला व्यक्ति, संदिग्ध/अभियुक्त के बारे में एक या एक से अधिक विवरण देता है।

परिशिष्ट–2

अधिसूचना संख्या 72/XX(8)2015–12(28)2013, दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 का परिशिष्ट–2

N.C.R.

FIRST INFORMATION REPORT

In respect of Non Cognizable Offence (Under Section 155 Cr. P.C.)

P.S. District (जिला) NCR No: Date (दिनांक):

1. Acts & Sections of Law (कानून के अधिनियम एवं धाराएँ) :
   S. No. (क्र0 सं0) Acts (अधिनियम) Sections (धाराएँ)

2. Place of Occurrence (घटनास्थल) :
   (a) Information Received at P.S. Date (दिनांक) : Time (समय):
   (b) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) G.D. No. (रोजनामचा सं0): G.D. Time
   (c) Occurrence Date (घटना का दिनांक) Time (समय): Time Range :
   (d) Place (स्थान)

3. Name & residence of complainant (शिकायतकर्ता का नाम एवं पता) :
   Name (नाम) :
   Sl. No. (क्र0 सं0) Address Type (पता का प्रकार) Address (पता)

4. Name & Father's Name, Age & Residence of Accused/Suspect (अभियुक्त/संदिग्ध का नाम, पिता का नाम आयु एवं पता) :
   Name (नाम) : Father's Name (पिता का नाम) : Age (आयु) :
   Sl. No. (क्र0 सं0) Address Type (पता का प्रकार) Address (पता)

5. NCR Contents (एनसीआर सामग्री) :

6. Particulars of properties involved (Attach separate sheet, if necessary) [गुण शामिल (संलग्न न करें पृथक शीट, यदि आवश्यक हो तो) का विवरण] :
   Sl. No. (क्र0 सं0) Property Type (सम्पत्ती के प्रकार) Property Description (सम्पत्ती विवरण)

7. Name and full address of witnesses, if described in contents of NCR (नाम और गवाह का पूरा पता अगर एनसीआर की सामग्री में वर्णित है) :
   Sl. No. (क्र0 सं0) Witness Name (साक्षी का नाम) Address (पता)

8. R.O.A.C. (आर0ओ0ए0सी0) :

9. Informant is advised to seek help in concerned Court (मुखबिर संबंधित कोर्ट में मदद की तलाश करने के लिए सलाह दी जाती है):

Signature/Thumb Impression of the complainant/Informant (शिकायतकर्ता/मुखबिर के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप)

Signature of Officer (अधिकारी के हस्ताक्षर) :
Name (नाम) :
Rank (पद) : No. (क्रमांक) :

परिशिष्ट–3

अधिसूचना संख्या 72/XX(8)2015–12(28)2013, दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 का परिशिष्ट–3 I.I.F.--V/एकिकृत जाँच फार्म–V

FINAL FORM REPORT
अन्तिम फार्म/रिपोर्ट

(UNDER SECTION 173 CR. P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF के न्यायालय में

1. District (जिला) P.S. (थाना) Year (वर्ष)
   FIR No. (प्र0सू0रि0सं0) : Date (दिनांक) :
2. Final Report Charge Sheet No. (अन्तिम रिपोर्ट/आरोप–पत्र संख्या) :
3. Date (दिनाँक) :
4. Act (अधिनियम) : Sections (धाराएँ) :
5. Type of Final Form/Report (अन्तिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार) :
6. If FIR Unoccured (यदि अन्तिम रिपोर्ट अघटित) :
7. If Charge sheet (यदि आरोप पत्र दाखिल किया) :
8. Name of I.O. (जाँच अधिकारी का नाम) :
   at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय)
   Rank (पद) No. (सं0)
9. (a) Name of complainant/informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम) :
   (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :
10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon :
    (जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो) :

Sl. No. क्र0 सं0	Property description सम्पत्ति का विवरण	Estimated Value (in ₹) अनुमानित मूल्य (₹ में)	P.S. Property Register No. थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं0	From whom/where recovered or seized कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद हो गई	Disposal निराकरण

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप–पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण) :

Sl. No. (क्र0 सं0) Whether Verified (क्या सत्यापित है ?) :

(i) Name (नाम)

(ii) Father's Name (पिता का नाम) :

(iii) Date/Year : Birth (जन्म तिथि / वर्ष) : (iv) Sex (लिंग) :

(v) Nationality (राष्ट्रीयता) : (vi) Passport No. (पासपोर्ट संख्या) :

Date of issue (जारी करने की तिथि) : Place of Isssue (जारी करने का स्थान) :

(vii) Religion (धर्म) :

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु0जाति / अनु0जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग) :

(ix) Occupation (व्यवसाय) :

(x) Address (पता) :

Sl. No. (क्र0सं0) Address Type (पता का प्रकार) Address (पता)

Whether verified (क्या सत्यापित हैं ?)

(xi) Regular Criminal No. (if known) नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो) :

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि) :

(xiii) Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तिथि) :

(xiv) Date on which forwarded to Court (न्यायालय को भेजने की तिथि) :

(xv) Under Acts & Sections (अधिनियम एवं धाराएँ) :

Sl. No. (क्र0सं0) Act (अधिनियम) Sections (धाराएँ)

(xvi) Details of bailers of sureties (जमानतियों का ब्यौरा) :

Name (नाम) :

Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम) :

Occupation (व्यवसाय) :

Address (पता) :

Sl. No. (क्र0सं0) Address Type (पता का प्रकार) Address (पता)

Identification (पहचान) :

Date of Birth : UID Number :

Any Other ID Proof

Sl. No. ID Type ID Number

1.

2.

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण) :

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति) : न्यायालय द्वारा जमानत

12. Particulars of accused persons not charge-sheeted (suspect) [आरोप–पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण] :

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण) :

Sl. No.	Name	Father's/ Husband's Name	Date/Year of birth	Occupation	Address	Type of evidence to be tendered
क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि/ वर्ष	व्यवसाय	पता	प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार

14. If FR is False (FIR false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C. :
यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा0द0सं0 की धारा 182/211 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण :

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम) :

16. Brief facts of the case (मामले से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य) :

17. Refer Notice served (जारी किए नोटिस) :
(Acknowledgement to be placed) (पावती नत्थी करें) : Date (दिनाँक) :

18. Dispatched on (प्रेषण की तिथि) :

19. No. of enclosures (संलग्नकों की संख्या) :

20. List of enclosures, As annexed (संलग्नकों की सूची) :

Forwarded by Officer-in-Charge
प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित

Name (नाम) :
Rank (पद) :
No. (सं0) :

Signature of Investigating Officer submitting final report charge sheet
अन्तिम रिपोर्ट/आरोप–पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर

Name (नाम) :
Rank (पद) : उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक
No. (सं0) :

आज्ञा से,
मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

सैनिक कल्याण अनुभाग

शुद्धि पत्र

09 अक्टूबर, 2015 ई0

संख्या 995/XVII–5/15–13(8) अर्द्ध सै0/2015–भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 11(1)/40(4) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 713/XVII–5/15–13(8) अर्द्ध सै0/2015, दिनांक 13.07.2015 की अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की अनुसूची में टंकण की गलती से पृष्ठ संख्या–3 के कॉलम–4 में प्लॉट संख्या–1687 के स्थान पर प्लॉट संख्या–6687 तथा पृष्ठ संख्या–6 के कॉलम–4 में प्लॉट संख्या–1369 के स्थान पर 12369 त्रुटिवश प्रकाशित हो गया है, जबकि प्लॉट संख्या–6687 के स्थान पर 1687 एवं प्लॉट संख्या–12369 के स्थान पर 1369 प्रकाशित होना था। अतः प्लॉट संख्या–6687 के स्थान पर प्लॉट संख्या–1687, क्षेत्रफल 0.004 एवं प्लॉट संख्या–12369 के स्थान पर 1369, क्षेत्रफल 0.020 पढ़ा जाय।

तद्नुसार उपरोक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

09 अक्टूबर, 2015 ई0

संख्या 1664(1)/बीस–4/2015–1(73)/2008 टी0सी0–श्री राज्यपाल महोदय, उ0 प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय 25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री सोहन प्रधान पुत्र श्री हरिचन्द्र, ग्राम टिकोला कला, कोतवाली मंगलौर, हरिद्वार को उप कारागार, रुड़की में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्री सोहन प्रधान की उप कारागार, रुड़की में अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से दो वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिये बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

अधिसूचना

09 अक्टूबर, 2015 ई0

संख्या 1664(2)/बीस–4/2015–1(73)/2008 टी0सी0–श्री राज्यपाल महोदय, उ0 प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय 25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री मोहम्मद इरशाद पुत्र श्री अब्दुल हमीद, अकबरपुर ढाढेकी, कोतवाली मंगलौर, हरिद्वार को उप कारागार, रुड़की में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्री मोहम्मद इरशाद की उप कारागार, रुड़की में अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से दो वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिये बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

अधिसूचना

09 अक्टूबर, 2015 ई0

संख्या 1664(3)/बीस–4/2015–1(73)/2008 टी0सी0–श्री राज्यपाल महोदय, उ0 प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय 25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री जहीर हसन पुत्र श्री सईद हसन, मौहल्ला हल्का कस्बा, कोतवाली मंगलौर, हरिद्वार को उप कारागार, रुड़की में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्री जहीर हसन की उप कारागार, रुड़की में अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से दो वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिये बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

अधिसूचना

09 अक्टूबर, 2015 ई0

संख्या 1665/बीस–4/2015–1(73)/2008 टी0सी0–श्री राज्यपाल महोदय, उ0 प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय 25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री चौधरी विनोद कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, ग्राम कुंजा, बहादरपुर, पोस्ट इकबालपुर, थाना भगवानपुर, हरिद्वार को उप कारागार, रुड़की में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा श्री चौधरी विनोद कुमार की उप कारागार, रुड़की में अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से दो वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिये बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

आज्ञा से,

विनोद शर्मा,

सचिव।

वित्त अनुभाग–9

विज्ञप्ति/तैनाती

09 अक्टूबर, 2015 ई0

248/2015/XXVII(9)/स्टाम्प–54/2008, T.C.–I–तात्कालिक प्रभाव से स्टॉम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चयन वर्ष 2015–16 में उप महानिरीक्षक निबन्धन, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600 कि रिक्त पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री माया राम जोशी, सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन को पदोन्नत करने के साथ ही 02 वर्ष की परिवीक्षा में रखते हुए उप महानिरीक्षक, निबन्धन, कुमायूँ मण्डल के पद पर तैनात किया जाता है।

2. शासन के उक्त निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

श्रीधर बाबू अद्दांकी,

अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट/539–भाग 1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 ई0 (कार्तिक 09, 1937 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल

सूचना

28 सितम्बर, 2015 ई0

संख्या 3410/इक्कीस–8/2014–15–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 की उपधारा 2 (घ) के खण्ड (ड़) के अन्तर्गत नैनीताल के जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाने वाली सभी प्रकार की दुकानों आदि को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनका प्रकाशन शासकीय गजट की विज्ञप्ति संख्या 1975/इक्कीस–7/2009–10, दिनांक 06–11–2010 एवं विज्ञप्ति संख्या 1274/बारह–2/1997–98, दिनांक 26–05–2012 में हुआ है, के उपखण्ड 8 की अनुसूची में आंशिक कर एवं नये व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे, जिस किसी सज्जन को उक्त उपनियम के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हों तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत तिथि के उपरान्त किसी भी सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

संशोधित उपविधियां

8. प्रत्येक खाद्य, वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री व अन्य सभी व्यवसायों, दुकानों पर लाइसेन्स देय होगा और उन पर जिस दर से लाइसेन्स शुल्क लगेगा, उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वर्तमान उपनियम	धनराशि ₹ में	क्र0 सं0	संशोधित उपनियम	धनराशि ₹ में
1	2	3	4	5	6
1.	68. (1) स्कूटर मोटर साइकिल वर्कशाप	400	1.	(1) स्कूटर मोटर साइकिल वर्कशाप	500
	(2) मोटर कार वर्कशाप	600		(2) मोटर कार वर्कशाप	1,000
2.	77. प्रिंटिंग प्रेस	250	2.	1. प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें तीन कर्मचारी तक काम करते हों	500
				2. प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें पाँच कर्मचारी तक काम करते हों	1,000

1	2	3	4	5	6
3.	98. कबाड़ी की दुकान	600	3.	कबाड़ गोदाम एक स्थान पर जमा करना	
				1. छोटा गोदाम	1,100
				2. बड़ा गोदाम	2,000
4.	101. बैटरी मरम्मत	250	4.	बैटरी मरम्मत	300
5.	145. एल्यूमिनियम से निर्मित सामग्री की दुकान	500	5.	एल्यूमिनियम से निर्मित सामग्री की दुकान	
				1. सामान	1,000
				2. फर्नीचर	1,500
6.	149. टी0वी0, फ्रिज आदि शो रूम	1,000	6.	होम ऐपलाइन्सेज (टी0वी0, फ्रिज शो रूम इत्यादि)	2,000
7.	161. रेत, बजरी, सीमेन्ट से निर्मित गमले	300	7.	रेत, बजरी, सीमेन्ट से निर्मित गमले	1,500
8.	168. (1) चश्मे बनाने की दुकान	300	8.	चश्मे बनाने की दुकान	
				1. चश्मा बेचना	500
				2. चश्मा बनाना	500
9.	153. निजी बैंक	5,000	9.	नॉन नेशनलाइज्ड बैंक	5000
				नयी व्यवसाय की दरें	
			124.	पैथोलॉजी (टैस्टिंग लैब)	
				छोटी	1,200
				कम्प्यूटरराइज्ड बड़ी	3,000
			175.	नॉन बैंकिंग इन्स्टीट्यूट	1,000
			176.	डिश टी0वी0 सिस्टम विक्रेता	1,000
			177.	विद्युत उपकरण ठेकेदारी में तैयार करना	1,500
			178.	चश्मे बनाना, बेचना, आँख चैक करना	1,500
			179.	शेयर ब्रोकर	600
			180.	डिश टी0वी0 (इन्टर नेट कनेक्शन सर्विस)	1 रुपये प्रति कनेक्शन
			181.	टायल	500
			182.	फोटो स्टेट मशीन विक्रेता	1,000
			183.	कम्प्यूटर ऐसेसीरीज विक्रेता	1,000
			184.	कार श्रृंगार, कार ऐसेसीरीज विक्रेता	1,500
			185.	कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैप टॉप विक्रेता, टैब लेट	2,500
			186.	आर्किटेक्ट नक्शा निर्माता	2,000
			187.	ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट अन्य	1,000
			188.	फास्ट फूड कार्नर	250
			189.	धातु निर्मित फर्नीचर	1,500
			190.	प्लॉस्टिक फाईबर निर्मित फर्नीचर	1,500
			191.	रेत, बजरी, ईंट अन्य के कमीशन एजेन्ट	1,100
			192.	चिकन, मटन कार्नर	500
			193.	स्क्रैप सेल एण्ड प्राईजेज	2,000
			194.	इन्वर्टर बैटरी फुटकर विक्रेता	1,000
			195.	सी0सी0 टी0वी0 कैमरा विक्रेता	1,000
			196.	इन्टीरियर डिजाइनिंग एजेन्सी	1,000
			197.	हैवी अर्थ मूवींग मशीन सेल्स एण्ड सर्विस	11,000

1	2	3	4	5	6
			198.	हैवी केबल सेल्स हैवी अर्थ मूवींग मशीन सेल्स	10,000
			199.	लेथ मशीन/अतिरिक्त	500/100
			200.	गोदाम किसी भी व्यवसाय अन्य	1,100
			201.	गद्दी मेकर/सिंचाई	250
			202.	गाड़ी डेटिंग पेंन्टिग	700
			203.	बारात घर में बारातियों के ठहरने हेतु प्रति कक्ष	500
			204.	एड एजेन्सी (विज्ञापन एजेन्सी)	1,000
			205.	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रा0लि0	2,000
			206.	कम्प्यूटर नेट एक्जाम सेंटर	600
			207.	स्टेडी सर्किल प्राइवेट इनवर सिटी	1,000
			208.	मिनी सेलर/मिनी आटा मिल	1,500
			209.	कैटरिंग	500
			210.	धारा 240 के अन्तर्गत चालान होने में पर व्यवसायों से लाइसेन्स शुल्क व विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त वाद शुल्क लिया जायेगा	300
				11. (1) समस्त जनपद नैनीताल के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों हेतु संशोधित उपनियमों के तहत लाइसेन्स स्वयं लेना अनिवार्य है और यह पूर्ण रूप से लाइसेन्सधारी की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी दशा में या किसी भी नये व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व जिला पंचायत, नैनीताल से लाइसेन्स प्राप्त कर ले। लाइसेन्सधारी को चालू वर्ष के माह 30 सितम्बर तक बिना किसी विलम्ब शुल्क के कार्यालय जिला पंचायत से लाइसेन्स निर्गत/नवीनीकरण किया जायेगा। 30 सितम्बर तक लाइसेन्सधारी द्वारा लाइसेन्स हेतु स्वयं लाइसेन्स का नवीनीकरण न कराने की दशा में उसी वर्ष के माह अप्रैल से प्रतिमाह ₹ 10 की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा, इस विलम्ब शुल्क की दर लाइसेन्स प्राप्त करने की तिथि तक देय होगी ₹ 10 प्रतिमाह की विलम्ब शुल्क ₹ 200 से कम धनराशि वाले लाइसेंसों हेतु मान्य होगा। ₹ 200 से अधिक ₹ 500 तक लाइसेन्सों हेतु ₹ 15 विलम्ब शुल्क प्रतिमाह की दर ₹ 501 से अधिक ₹ 1,000 तक लाइसेन्सों हेतु ₹ 25 विलम्ब शुल्क, ₹ 1,001 से ₹ 2,000 तक लाइसेन्सों हेतु ₹ 30 विलम्ब शुल्क ₹ 2,001 से ₹ 5,000 तक लाइसेन्सों हेतु ₹ 40 विलम्ब शुल्क प्रतिमाह की दर से लाइसेन्स लेने की तिथि तक देय होगा। यह विलम्ब शुल्क 30 सितम्बर तक लाइसेन्सधारी द्वारा स्वयं लाइसेन्स न लेने पर उस चालू वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होगा। लाइसेन्सधारियों को पुनः यह स्पष्ट किया जाता है, कि नये व्यवसाय हेतु लाइसेन्स लेना व पुराने लाइसेन्सों का नवीनीकरण कराना लाइसेन्सधारी का उत्तरदायित्व होगा। अन्यथा 30 सितम्बर के बाद लाइसेन्स के साथ जो विलम्ब शुल्क की वसूली की जायेगी। उसका पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व भी लाइसेन्सधारी का होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् चालान की कार्यवाही होने की दशा में विधिक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत, नैनीताल में निहित होगा।	

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, नैनीताल यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, अर्थदण्ड से दण्डनीय

होगा, जो ₹ 1,000 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोषसिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा, ₹ 50 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा यदि अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास दण्डित किया जायेगा। जो तीन मास तक हो सकेगा।

पॉवर उपनियम

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) (घ) (ड) के अन्तर्गत जिला पंचायत, नैनीताल के जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर मिलों, कारखानों को नियन्त्रित करने हेतु शासकीय गजट की विज्ञप्ति सं0 1277/बारह–13/1997–98(द), दिनांक 26–05–2012 में प्रकाशित हुआ है, के उपखण्ड 11(1), में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे, जिस किसी सज्जन को उक्त उपनियम के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हों तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत तिथि के उपरान्त किसी भी सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

वर्तमान उपनियम	संशोधित उपनियम
11. (1) उपरोक्त समस्त मिले, चाहें वे बिजली से चलती हो, पेट्रोल से चलती हो, स्ट्रीम गैस से चलती हो, डीजल, मिट्टी का तेल, क्रूड ऑयल, हवा से चलती हो, चाहे बिना शक्ति पॉवर से चलती हो, यदि उसमें 06 से अधिक व 10 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों, तो उन्हें मिल, फैक्ट्री माना जायेगा तथा उन्हे ₹ 1,500 प्रतिवर्ष लाइसेन्स शुल्क देय होगा तथा धान मिल/सेलर, जिनकी क्षमता 01 टन से ऊपर की हो तो ₹ 2,500 प्रतिवर्ष लाइसेन्स शुल्क देय होगा।	11. (1) उपरोक्त समस्त मिले, चाहें वे बिजली से चलती हो, पेट्रोल से चलती हो, स्ट्रीम गैस से चलती हो, डीजल, मिट्टी का तेल, क्रूड ऑयल, हवा से चलती हो, चाहे बिना शक्ति पॉवर से चलती हो, यदि उसमें 06 से अधिक व 10 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों, तो उन्हें मिल, फैक्ट्री माना जायेगा तथा उन्हे ₹ 1,500 प्रतिवर्ष लाइसेन्स शुल्क देय होगा तथा 01 टन से कम मिनी सेलर ₹ 1,500 एवं 1 टन से अधिक धान मिल/सेलर, 05 टन तक ₹ 3,000 इससे अधिक की दशा में अतिरिक्त प्रतिटन ₹ 500 लाइसेन्स शुल्क देय होगा।

12. (1) विलम्ब शुल्क की दरें निम्न प्रकार होंगी :–

ला0 शुल्क		विलम्ब शुल्क	
₹ 300.00	प्रतिवर्ष	₹ 10.00	प्रतिमाह
₹ 500.00	प्रतिवर्ष	₹ 10.00	प्रतिमाह
₹ 50.00	प्रतिवर्ष	₹ 05.00	प्रतिमाह
₹ 1,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 15.00	प्रतिमाह
₹ 3,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 30.00	प्रतिमाह
₹ 2,500.00	प्रतिवर्ष	₹ 25.00	प्रतिमाह
₹ 4,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 40.00	प्रतिमाह
₹ 5,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 50.00	प्रतिमाह
₹ 6,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 60.00	प्रतिमाह
₹25,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 250.00	प्रतिमाह

12. (1) विलम्ब शुल्क की दरें निम्न प्रकार होंगी :–

ला0 शुल्क		विलम्ब शुल्क	
₹ 500.00	प्रतिवर्ष	₹ 10.00	प्रतिमाह
₹ 1500.00	प्रतिवर्ष	₹ 15.00	प्रतिमाह
₹ 3,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 30.00	प्रतिमाह
₹ 5,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 50.00	प्रतिमाह
₹ 8,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 80.00	प्रतिमाह
₹ 15,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 150.00	प्रतिमाह
₹ 20,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 200.00	प्रतिमाह
₹ 25,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 250.00	प्रतिमाह
₹ 30,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 300.00	प्रतिमाह
₹ 40,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 400.00	प्रतिमाह
₹ 50,000.00	प्रतिवर्ष	₹ 500.00	प्रतिमाह

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, नैनीताल यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो ₹ 1,000 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोषसिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा, ₹ 50 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा यदि अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास दण्डित किया जायेगा। जो तीन मास तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, नैनीताल।

कार्यालय जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर

जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर की उपविधियाँ

30 सितम्बर, 2015 ई0

संख्या 3442/इक्कीस–8/2014–15–जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों/ग्रामीण बाजारों में व्यापारिक, व्यवसायिक भवनों तथा दुकान, होटल, पंचसितारा होटल, तीनसितारा होटल, रैस्टोरेन्ट, व्यवसायिक बारात घर, रिर्सोट, मॉल, मैरिज पैलेस, व्यवसायिक गेस्ट व रेस्ट हाउस, व्यवसायिक कॉलोनी एवं कॉलोनी काटना, कॉलोनी के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण करना, विद्युतीकरण एवं सीवर की अनुमति, रज्जु मार्ग पर आदि निर्माण कार्य का नक्शा अनुमोदन करवाने निमित्त ले–आउट प्लॉन एवं भवन प्लॉन एवं निर्मित भवनों परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियन्त्रित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियाँ बनायी हैं जो कि राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी :–

उपविधियाँ

1. यह उपविधियाँ जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की लेआउट प्लॉन एवं व्यवसायिक भवन प्लॉन एवं निर्मित प्रतिष्ठानों, भवनों के परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार की उपविधियाँ कहलायेगी।

परिभाषाएँ–

1. अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।
2. "ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में अधिसूचित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, छावनी क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित एवं किसी विकास प्राधिकरण अथवा R.BO. Act, 1960 से आच्छादित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र से है।"
3. मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद् के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।
4. निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी व्यवसायिक भवन का निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।
5. ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसृजित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाईप भी सम्मिलित है।
6. भू–आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू–तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

7. अस्थाई निर्माण का तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो लेन्टर से अतिरिक्त भाग पर किसी अन्य समाग्री से ढका एवं निर्मित हो।

8. ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतन्त्र आवासीय, (Independent Apartment Unit) ईकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार,जनसुविधाऐं आदि का प्राविधान हो।

9. ले आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है जो कि स्थल के समस्त भू–खण्ड,भवन खण्ड, मार्ग खुली जगह,आने–जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू–निर्माण,(Lands caping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

10. प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है।

अ– अभियन्ता, अवर अभियन्ता, ड्राफ्टमैन जिला पंचायत उधम सिंह नगर से है ।

ब– इस उपविधि में अभियन्ता, अवर अभियन्ता,ड्राफ्टमैन का तात्पर्य उस अभियन्ता ,अवर अभियन्ता,ड्राफ्टमैन से है जिसको अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा भवन के नक्शों की विषयगत उददेश्य के लिए परीक्षणोपरान्त स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने हेतु निर्देशित/आर्देशित किया गया हो।

11. कार्य अधिकारी का तात्पर्य – कार्य अधिकारी जिला पंचायत उधम सिंह नगर अथवा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा अधिकृत उस कार्मिक से है जो विषयगत उद्देदश्य के लिए पत्रावली प्रस्तुत कर समस्त कार्यवाही के उपरान्त अन्तिम रूप से स्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र निर्गत कराने की कार्यवाही करें।

12. अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उधम सिंह नगर से है।

13. जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1)जिला पंचायत उधम सिंह नगर से है।

14. अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, उधम सिंह नगर से है।

15. बहुमंजिल भवन (Multy storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक उॅचाई का भवन बहुमंजिल कहलायेगा।

16. .भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाय, एवं उसक प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी, क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थाई प्लैट फार्म, बरान्डा बॉलकॉनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू–भाग को ढकने के उददेश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टैण्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते हैं वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होगें,

17. व्यससायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं की प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य–कलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कनबीनिएन्स स्टोर एवं सुविधाऐं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांकिग हो और किसी भवन में स्थिति हों, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसी भवन/स्थल जिनका प्रयोग धर्नोपार्जन हेतु किया जाना हो।

18. कोई भी व्यक्ति फर्म, संस्था आदि जिला पंचायत उधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक, व्यवसायिक उददेश्य से भवन निर्माण, दुकान, होटल,चूना, घरों, रज्जु मार्ग निर्माण आदि तब तक नहीं कर सकेगा जब तक उस व्यक्ति, फर्म, संस्था, समिति के पास जिला पंचायत उधम सिंह नगर से उसका नक्शा उपविधियों के अधीन स्वीकृत न करवा लिया गया हो।

19. जनपद उधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक, व्यवसायिक उददेश्य से निर्मित किये जाने वाले होटल, दुकान, भवन, इमारत, रज्जुमार्ग पर तथा मनोरंजन केन्द्र आदि के निर्माण में निम्नलिखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

(क) प्रार्थना पत्र, भू–अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पूराने भवन में परिर्वतन या परिवर्धन, विस्तार या भू–खण्ड के लेआउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी इन उपविधियों के अनुसार ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उधम सिंह नगर को एक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा–

1– स्थल का नक्शा दिया जायेगा–
लेआउट प्लान का नक्शा।
बिल्डिंग प्लान में सैक्सन, साईट प्लान, एलीवेशन, फाउण्डेशन सैक्सन आदि का उल्लेख ।
स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।
समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।
स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख, भूमि के अकृर्षित होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आलेख आदि।

अ. नक्शें पर भू–स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

ब. भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उददेश्य जैसे व्यवसायिक, शिक्षण, अथवा व्यवसायिक शिक्षण भवन आदि।

स– नक्शे पर भूखण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमैंट का क्षेत्रफल, आदि का विवरणं।

द–अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट, अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)

2– भूमि जिला पंचायत उधम सिंह नगर के स्वामित्व की न हो से सम्बन्धित विवरण/टिप्पणी एवं भू–स्वामी जिला पंचायत उधम सिंह नगर का अवैध कब्जाधारी तथा जिला पंचायत उधम सिंह नगर के देयकों से मुक्त होने का विवरण/टिप्पणी।

3– तीन मंजिल से अधिक का प्रार्थना पत्र देने वाले भू–स्वामी या इस प्रकार भविष्य में प्राविधान रखने का प्रार्थन पत्र प्रस्तुत करने वाले भू–स्वामी/आवेदक को भूमि की भार वाहन क्षमता का अधिकृत/पंजिकृत फर्म/संस्था अथवा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4– प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य की संस्तुति अधिकतम एक सप्ताह के भीतर एवं सदस्य की संस्तुति न होने पर अध्यक्ष जिला पंचायत उधम सिंह नगर की अनुमति अधिकतम 15 दिन के भीतर प्राप्त कराना आवश्यक होगा। निर्धारित समय में संस्तुति/अनुमति प्राप्त न होने पर स्वतः ही अनुमति स्वीकार्य होगी।

(ख) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1– बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2– भूकम्प रौधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

3– स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल–मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

4– बेसमेंट में इलैक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ग) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सडको के द्वारा भूखण्ड के प्रत्येक 300वर्ग मीटर के भू–आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000वर्ग मीटर के भू–आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(घ) नक्शे स्वीकृति की दरें

1– व्यवसायिक शैक्षणिक, एवं चिकित्सीय भवन उधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तलों पर लेन्टर से ढके भाग पर एवं अस्थाई निर्माण के ढके भाग पर 10 रूपये प्रति वर्गफीट होगी।

2– व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन/प्रतिष्ठान उधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तलों पर लेन्टर से ढके भाग पर एवं अस्थाई निर्माण के ढके भाग पर 20 रूपये प्रतिवर्ग फिट होगी।

3– तीन मंजिल से अधिक के सभी प्रति तलों पर लेन्टर से ढके भाग पर एवं अस्थाई निर्माण के ढके भाग पर दरों में रूपये 2.00 प्रति वर्गफीट की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

4–(I) भूमि की प्लाटिंग –भूमि को योजनाबद्व तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बॉटना।

(II)भूमि विकास– भूमि पर योजनाबद्व तरीके से पार्क बनाना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(III)भूमि का उपभोग– भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, केंटेनर, ईधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(IV) भूमि की प्लाटिंग निर्धारित उपविधि/उपनियमों के अनुसार करना जिसमें ले आउट प्लान का पैमान निर्धारित कर नक्शा तैयार करना, चारों तरफ की सीमाऐं उनके नाम समीवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा मालिक का नाम अंकित करना तथा ले आउट प्लान में प्लोर प्लान, ऐलीवेशन, भवन की उँचाई, सक्सेन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली,

बेसमैंट, सिवेज, जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास जीने की स्थिति,नालियों का निर्माण, विद्युत की व्यवस्था, मार्गो का निर्माण (डामरीकरण अथवा आर.सी.सी.मार्ग निर्माण) जिनकी चौडाई 15 फिट से कम न हो, कूड़ादान आदि की व्यवस्था करनी होगी।

(V)किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) उपरोक्त घ के क्रमांक 4–(I) से (IV) तक उधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 रूपये प्रति वर्ग फीट, होगी।

5– पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

6– स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की 1/2 होगी।

7– यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 20प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम तीन वर्ष तक बढाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50प्रतिशत होगी।

8– उपविधियों के अनुसार जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही जिला पंचायत अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(ड) अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रकिया

1– स्वामी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू–अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उधम सिंह नगर के कार्यालय में स्वंय अथवा सम्बन्धित माध्यम द्वारा जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2– ऐसे आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3– कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही अधिकतम एक सप्ताह में पूर्ण करके सम्बन्धित अभिलेखा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उधम सिंह नगर को प्रस्तुत कर देगा, कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं या उनके द्वारा नामित कर्मी द्वारा की जायेगी।

4– कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत उधम सिंह नगर को पृष्ठांकित कर देगा।

5– अभियन्ता द्वारा स्वंय अथवा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु अवर अभियन्ता जिला पंचायत उधम सिंह नगर को स्थल के सर्वेक्षण हेतु(Designated) आदेशित किया जायेगा।

6– अवर अभियन्ता जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अभियन्ता, जिला पंचायत उधम सिंह नगर को अधिकतम एक सप्ताह में प्रस्तुत की जायेगी।

7– अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त, बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा।

8– अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को अधिकतम दो सप्ताह में सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर जमा की जायेगी। प्रतिबंध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9– अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकि दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकि आख्या अपर मुख्य अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (CrossVerification) कराके तकनीकि आख्या अधिकतम दो सप्ताह में संलग्न करना होगा।

10– अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का माग पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को मांग पत्र जारी होने की तिथि से शुल्क जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जायेगा।

11– आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा करना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

12– उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा पत्र, अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तो के साथ संस्तुति करने के पश्चात, अध्यक्ष जिला पंचायत, की स्वीकृति एवं अनुमोदन पर जारी किया जायेगा। नक्शे पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13– यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के तीन माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग पत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि की समाप्ति के दिनॉक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उधम सिंह नगर के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो नक्शे हेतु उपविधि में दी गयी दर से आंगणित निर्धारित शुल्क की धनराशि जमा करने के उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत वास्तुविद से तैयार कराया गया नक्शा स्वीकृत माना जायेगा।

14–कथित नक्शा स्वीकृत कराने के कार्य के लिए समस्त औपचारिकताओं के साथ सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/व्यवसायी/व्यापारिक/प्रतिष्ठान स्वामी से आवेदन मय संलग्नकों के अपनी संस्तुति के साथऐसा ठेकेदार/वास्तुविद आवेदक का आवेदन पत्र जिला पंचायत उधम सिंह नगर में प्रस्तुत करेगा जिसे जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा इस हेतु **एक निश्चित अवधि जो की तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी के लिए जनपदवार अथवा विकास खण्डवार जेसा भी अध्यक्ष जिला पंचायत उधम सिंह नगर निश्चित करेगें** सार्वजनिक नीलामी पद्वति से उपविधि/जिला पंचायत की शर्तो के अधीन अधिकृत किया गया हो, और इस प्रयोजन हेतु अधिकृत ठेकेदार को नक्शा स्वीकृति हेतु आगणित कुल आंगणन की धनराशि का 10 प्रतिशत अधिकतम तक की दर से धनराशि का भुगतान जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा किया जा सकेगा। सार्वजनिक नीलामी पद्वति से अधिकृत ठेकेदार/वास्तुविद की उक्त प्रतिशत की दर की न्यूनतम धनराशि को वरीयता दी जायेगी। यह कार्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा अधिकृत कर्मियों द्वारा कराया जायेगा जिन्हें पृथक से कोई अधिभार अनुमन्य नहीं होंगा।

विवाद– उक्त कार्यवाही में किसी भी विवाद होने की दशा में या स्वीकृति नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा। एवं उनका यह आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

दण्ड

क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (1961 यथा संशोधित) जैसाकि अध्यावधि संशोधन की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकार का निर्वाहन करते हुए जिला पंचायत उधम सिंह नगर निर्देश दे सकती है कि इन उपविधियों में से किसी उपविधि का आंशिक अथवा पूर्ण रूपेण उल्लघंन अर्थदण्ड से दण्ड्य होगा जो (एक हजार रूपये) 1000.00 रू0 तक हो सकता है और ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्ड्य होगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात होने के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये की उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रूपये 50.00 के अर्थ दण्ड से दण्ड्य हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर कारावास से दण्डनीय होगा जो कि तीन माह तक का हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला पंचायत, चम्पावत

सूचना

30 सितम्बर, 2015 ई0

संख्या 3447/इक्कीस–8/2013–14–जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत सभी प्रकार की दुकानों एवं व्यवसायों आदि को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु उपविधियाँ बनायी गई थी। जिनका प्रकाशन उत्तराखण्ड गजट में विज्ञप्ति संख्या 1420/इक्कीस–19/2005–06, दिनांक 28 मई, 2006 द्वारा हुआ है। इन उपविधियों में लाइसेन्स की दरों पर संशोधन प्रस्तावित किये जा रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो प्रकाशन की तिथि के तीस दिन के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव, अध्यक्ष, जिला पंचायत, चम्पावत को भेज सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। उक्त दरें शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगी। लाइसेन्स प्रत्येक वर्ष अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिये बनेंगे।

क्र0 सं0	व्यवसाय	वर्तमान वार्षिक लाइसेन्स शुल्क (₹ में)	संशोधित दरें (वार्षिक लाइसेंन्स शुल्क) (₹ में)
1	2	3	4
1.	ठेकेदारी लाइसेन्स शुल्क–		
	(अ) प्रथम श्रेणी (10 लाख से ऊपर के कार्यों हेतु)	1,500.00	2,000.00
	(ब) द्वितीय श्रेणी (10 लाख तक के कार्यों हेतु)	1,000.00	1,500.00
2.	पशु वधशाला एवं मांस विक्रय–		
	(क) मांस विक्रय भेड़, बकरी, सुअर आदि	300.00	400.00
	(ख) मांस विक्रय मछली, मुर्गे	200.00	300.00
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित फैक्ट्रियां एवं विभिन्न प्रकार की मशीनें–		
	(1) आरा मशीन	1,250.00	1,500.00
	(2) बिस्कुट फैक्ट्री	250.00	500.00
	(3) धान, तेल मशीन, आटा चक्की प्रत्येक (पृथक–2 मोटर)	375.00	500.00
	(4) एक ही मोटर पर प्रति मशीन	200.00	300.00
	(5) लीसा फैक्ट्री	6,000.00	7,000.00
	(6) सौफ्ट स्टोन फैक्ट्री	6,000.00	7,000.00
	(7) मैग्नेसाइड	10,000.00	12,000.00
	(8) सीमेन्ट फैक्ट्री	5,000.00	6,000.00
	(9) शराब की दुकान	25,000.00	30,000.00
	(10) वार्निश की फैक्ट्री	6,000.00	7,000.00
	(11) जूट फैक्ट्री	500.00	700.00
	(12) इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री	2,500.00	3,000.00
	(13) साबुन फैक्ट्री	300.00	400.00
	(14) जूस, अचार, मुरब्बा उद्योग	2,000.00	3,000.00
4.	अन्य व्यवसाय–		
	1. परचून 10 हजार तक का सामान	150.00	300.00
	2. परचून 10 हजार से अधिक का सामान	250.00	500.00
	3. होटल व्यवसाय, जहाँ ठहरने की व्यवस्था हो और 5 से 10 तक शयन कक्ष हो	1,250.00	2,000.00

1	2	3	4
	4. होटल व्यवसाय, जहाँ ठहरने की व्यवस्था हो और 5 कक्षों तक हो	500.00	1,000.00
	5. बड़े होटल 10 कक्षों से अधिक हों	2,500.00	3,000.00
	6. फर्नीचर की दुकान	500.00	1,000.00
	7. इमारत लोहे की दुकान	650.00	1,000.00
	8. प्लॉस्टिक की सामग्री की दुकान	650.00	800.00
	9. फुटकर सस्ता गल्ला विक्रेता	250.00	500.00
	10. दर्जी/नाई की दुकान	100.00	300.00
	11. बर्तनों की दुकान 10 हजार तक का सामान	150.00	300.00
	12. बर्तनों की दुकान 10 हजार से ऊपर का सामान	250.00	500.00
	13. कपड़े की सामान्य दुकान 10 हजार तक का सामान	200.00	400.00
	14. कपड़े की सामान्य दुकान 10 हजार से ऊपर का सामान	300.00	500.00
	15. रेडीमेड कपड़ों की दुकान	200.00	500.00
	16. आभूषणों की बड़ी दुकान	250.00	500.00
	17. आभूषणों की छोटी दुकान	150.00	300.00
	18. किताबों/स्टेशनरी की दुकान	200.00	500.00
	19. मेडिकल स्टोर बड़ा	300.00	500.00
	20. मेडिकल स्टोर छोटा	200.00	300.00
	21. पेट्रोल पम्प	2,500.00	4,000.00
	22. कृषि उपकरण की दुकान	100.00	300.00
	23. बिजली सामान की दुकान एवं मरम्मत की दुकान	250.00	300.00
	24. सीमेन्ट की दुकान	1,000.00	2,000.00
	25. लोहा, सीमेन्ट की सम्मिलित दुकान	1,250.00	2,500.00
	26. लोहार/बढ़ई की दुकान	100.00	300.00
	27. फेरी व्यवसाय	500.00	700.00
	28. फल/सब्जी विक्रेता	100.00	300.00
	29. हार्डवेयर की दुकान	700.00	1,000.00
	30. थोक विक्रेता, परचून	500.00	1,000.00
	31. सामान मिश्रित दुकान 10 हजार तक का सामान	250.00	500.00
	32. सामान मिश्रित दुकान 10 हजार से ऊपर का सामान	350.00	700.00
	33. हकीम, वैद्य/मेडिकल प्रैक्टिश्नर	250.00	500.00
	34. डिश एन्टीना (केबिल नेटवर्क)	250.00	500.00
	35. ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय	2,000.00	3,000.00
	36. फोटो स्टेट मशीन	100.00	300.00
	37. टेलीविजन, रेडियो एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान विक्रेता	300.00	500.00
	38. घड़ीसाज	100.00	200.00
	39. मोटर मैकेनिक	150.00	300.00
	40. साइकिल मरम्मत	100.00	300.00
	41. साइकिल विक्रेता	300.00	500.00
	42. स्टोन कैरियर	3,000.00	5,000.00
	43. पड़ा कोल्हू या उठा कोल्हू प्रति इंजन या मोटर	500.00	1,000.00

1	2	3	4
	44. पी0सी0ओ0 / एस0टी0डी0	150.00	300.00
	45. वाहन सर्विस स्टेशन	500.00	1,000.00
	46. धर्मकाँटा	300.00	500.00
	47. मुर्गा पालन फार्म	500.00	700.00
	48. मछली पालन	200.00	300.00
	49. नर्सिंग होम 10 बेड तक	500.00	1,000.00
	50. नर्सिंग होम 10 बेड अधिक	1,000.00	2,000.00
	51. ईंट के थोक व्यापारी	3,000.00	4,000.00
	52. ईंट के फूटकर बेचने पर	2,000.00	3,000.00
	53. पिक्चर हॉल / वीडियो फिल्म मेकर	1,000.00	2,000.00
	54. सब्जी के थोक विक्रेता	300.00	500.00
	55. जूते की दुकान	150.00	300.00
	56. प्रिंटिंग प्रेस	250.00	500.00
	57. फोटो स्टूडियो / वीडियो फिल्म मेकर	250.00	500.00
	58. मिनी राईस प्लॉन्ट	3,500.00	5,000.00
	59. राइस मिल / फ्लोर मिल	7,000.00	10,000.00
	60. टैन्ट हाउस	500.00	1,000.00
	61. रूई धुनाई मशीन	250.00	500.00
	62. ईंट भट्टा	6,000.00	8,000.00
	63. खाद / रासायनिक दवाओं का विक्रेता	300.00	500.00
	64. रिक्शा प्रति	50.00	75.00
	65. ताँगा प्रति	100.00	150.00
	66. मिठाई की दुकान बड़ी	250.00	500.00
	67. मिठाई की दुकान छोटी	150.00	300.00
	68. भोजनालय छोटा	200.00	300.00
	69. भोजनालय बड़ा	300.00	500.00
	70. पान, बीड़ी, सिगरेट विक्रेता	100.00	200.00
	71. ठेले पर सब्जी फल व्यवसायी	100.00	150.00
	72. गत्ता मिल	250.00	500.00
	73. सैटरिंग सामग्री	1,000.00	1,500.00
	74. कैसेट एवं डबिंग सेन्टर	250.00	500.00
	75. कम्प्यूटर सामाग्री	300.00	500.00
	76. गिफ्ट सेन्टर	200.00	300.00
	77. मार्बल स्टोन दुकान	2,000.00	3,000.00
	78. चूड़ी, चरेऊ एवं सौन्दर्य सामाग्री	200.00	300.00
	79. चाय की दुकान	100.00	150.00
	80. अण्डे के थोक विक्रेता	200.00	300.00
	81. वैल्डिंग मशीन	300.00	500.00
	82. बीयर बार	5,000.00	8,000.00
	83. बिल्डर्स / निर्माण कम्पनी	2,500.00	3,500.00

1	2	3	4
	84. मैरिज हॉल	2,000.00	3,000.00
	85. शोरूम दो पहिया वाहन	5,000.00	8,000.00
	86. शेरूम चार पहिया वाहन	7,000.00	10,000.00
	87. भूसा स्टोर	500.00	700.00
	88. जूता बनाने की दुकान	200.00	350.00
	89. रेता बजरी खनन व्यवसाय	3,000.00	5,000.00
	90. डी0जे0	500.00	700.00
	91. प्लाईवुड	1,000.00	1,500.00
	92. कमीशन एजेण्ट	2,000.00	3,000.00
	93. हवा मशीन	300.00	400.00
	94. कबाड़ (कबाड़ी की दुकान)	2,000.00	3,000.00
	95. खराद मशीन	500.00	700.00
	96. टायर डीलर	2,000.00	3,000.00
	97. ब्यूटी पार्लर	200.00	300.00
	98. शराब के गोदाम		
	(अ) देशी शराब	20,000.00	25,000.00
	(ब) विदेशी शराब	30,000.00	35,000.00
	(स) बियर	10,000.00	15,000.00
	99. होर्डिंग्स	5,000.00	6,000.00
	100. मोबाईल टॉवर	5,000.00	6,000.00
	101. पेन्ट विक्रय	500.00	700.00
	102. कृषि बीज उपकरण	500.00	700.00
	103. मेडिकल स्टोर	500.00	700.00
	104. क्रॉकरी सामाग्री	250.00	350.00
	105. स्टील, प्लॉस्टिक फर्नीचर	300.00	500.00
	106. पैथोलॉजी सेन्टर	200.00	300.00
	107. थोक गल्ला विक्रय	1,000.00	1,500.00
	108. व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/ट्रेनिंग सेन्टर	500.00	1,000.00
	109. खनन व्यवसाय (पट्टाधारक)	10,000.00	15,000.00
	110. स्टोन क्रेशर मशीन	10,000.00	15,000.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चम्पावत, प्रत्येक ऊपर वर्णित व्यवसाईयों से अपेक्षा करती है कि वे प्रतिवर्ष अपने व्यवसायों के लिए 31 दिसम्बर तक व्यवसायिक लाइसेन्स जिला पंचायत, चम्पावत से प्राप्त कर लें, अन्यथा उसके पश्चात् पच्चीस प्रतिशत सरचार्ज सहित लाइसेन्स निर्गत किये जा सकेंगे। जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थदण्ड का भागी होगा, जो ₹ 1,000 तक होगा। यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रतिदिन ₹ 50 होगा। यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया जाता है तो कारागार से दण्डित होगा, जो तीन मास का हो सकेगा।

शेर सिंह परगाई,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चम्पावत।

खुशाल सिंह अधिकारी,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, चम्पावत।

कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल

सूचना

03 अक्टूबर, 2015 ई0

संख्या 05/इक्कीस–8/2014–15–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, नैनीताल ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में रेता, बजरी, रोडी, गिट्टी व पत्थर आदि ले जाने वाले, एकत्रित करने वाले वाहनों (बैलगाड़ी/तांगा/यूटिलीटी जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, कैन्टर, 6 टायर से ऊपर आदि) का नियन्त्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 239(2) के अन्तर्गत नियम बनाये जाते हैं। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे, जिस किसी सज्जन को उक्त उपनियम के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हों तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत तिथि के उपरान्त किसी भी सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधि

यह उपविधि जिला पंचायत, नैनीताल में बहने वाली नदियों, नाले, गधेरे, भूमि पट्टेदारों आदि से निकासी एवं चुगान रेता, बजरी, रोडी, गिट्टी व पत्थर ले जाने वाले, एकत्रित करने वाले वाहनों, जो जिला पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत गुजरेंगे व किसी स्थान पर एकत्रित करेंगे, से शुल्क वसूली की उपविधि कहलाएगी।

2. यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

3. रेता, बजरी, रोडी, गिट्टी व पत्थर ले जाने वाले वाहनों से शुल्क वसूली जिला पंचायत द्वारा स्वयं अथवा ठेके के माध्यम से की जाएगी। ठेके पर शुल्क वसूली करने की दशा में, ठेके की नीलामी जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष, जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा नीलामी की स्वीकृति की जाएगी तथा उनका निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

4. जिला पंचायत, नैनीताल के क्षेत्र में रेता, बजरी, रोडी, गिट्टी व पत्थर आदि ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश करने, जिला पंचायत क्षेत्र से बाहर ले जाने व जिला पंचायत क्षेत्र में एकत्र करने वाले वाहनों को जिला पंचायत, नैनीताल को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। शुल्क वसूली हेतु अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कोई ऐसा स्थान नियत किया जाएगा, जहाँ पर जाम लगने व किसी प्रकार के विवाद की सम्भावना न हो। शुल्क की अदायगी जिला पंचायत द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार द्वारा की जाएगी।

शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी:–

	वाहन का नाम	रुपया प्रति फेरी
1.	खच्चर, घोड़ा	₹ 1
2.	बुग्गी/बैलगाड़ी/तांगा	₹ 2
3.	यूटिलिटी जीप प्रति फेरी	₹ 5
4.	ट्रैक्टर/कैन्टर	₹ 10
5.	ट्रक	₹ 15
6.	छः टायर से ऊपर ट्रक	₹ 20

5. जिला पंचायत शुल्क वसूली के लिए ठेके की व्यवस्था कर सकता है, जिसकी अवधि प्रति वर्ष 01 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक होगी।

6. रेता, बजरी, रोडी, गिट्टी व पत्थर आदि ले जाने वाले वाहनों से शुल्क वसूली के लिए जिला पंचायत द्वारा निर्गत रसीद, वाहनों के लिए निर्धारित धनराशि प्राप्त कर प्रदान की जाएगी। यह रसीदें जिला पंचायत द्वारा शुल्क वसूली की दशा में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी/कर्मचारी शुल्क प्राप्त कर सम्बन्धित वाहनों को उपलब्ध कराएगा और ठेके के माध्यम से वसूली होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वाहनों से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर वाहनों को उपलब्ध करायेगा।

7. शुल्क या इससे सम्बन्धित व्यवस्था के विषय में शुल्कदाता लिखित रूप से अपर मुख्य अधिकारी/अध्यक्ष के समक्ष आपत्ति कर सकता है। अपर मुख्य अधिकारी/अध्यक्ष के निर्णय के विरूद्ध अपील आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल के समक्ष निर्णय को सूचना मिलने के 15 दिन के अन्दर की जा सकेगी और उस पर दिया गया आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

8. शुल्क वसूली के कार्य को ठेके पर उठाने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी, नीलाम समिति के अध्यक्ष होंगे तथा कार्य अधिकारी/कर अधिकारी/वित्तीय परामर्शदाता नीलाम समिति के सदस्य होंगे।

9. यदि शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर उठा दिया गया हो तो ठेकेदार को रसीद वही रखना, जिसे पंचायत द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। ठेकेदार निर्धारित दर से वसूल करेगा तथा शुल्कदाता को रसीद देगा। ठेकेदार रसीद बही जिला पंचायत, नैनीताल कार्यालय से ही क्रय कर प्राप्त करेगा, जो अपर मुख्य अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त उपविधियों के अनुसार रेता, बजरी, रोडी, गिट्टी व पत्थर आदि बिक्री के लिए जाते हुए वाहन मालिक द्वारा शुल्क न देने पर या जाँच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर शुल्क न दिया गया हो तो ऐसा प्रमाणित होने पर रेता, बजरी, रोडी, गिट्टी व पत्थर आदि जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा रोक लिया जाएगा या आंशिक रूप से अधिकृत कर लिया जाएगा।

11. यदि रेता, बजरी, रोडी, गिट्टी व पत्थर आदि अधिकार में कर लेने के 15 दिन के अन्दर शुल्क अदा नहीं किया जाता है तो अधिकार में लिया गया माल आवश्यकतानुसार आंशिक रूप से पंचायत द्वारा विक्रय करके शुल्क व्यय सहित पूर्णरूप से वसूल कर लिया जाएगा और शेष माल उसके मालिक का अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत के समक्ष जब्त माल को वापसी के लिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र देने पर तुरन्त वापस कर दिया जाएगा।

12. यदि उपविधि संख्या 11 के अनुसार अधिकार में लिए गये माल के अंश को बेचे जाने पर भी मालिक अपने माल के शेषांश को लेने के लिए 15 दिन के अन्दर नहीं आता है तो पंचायत द्वारा संचालित वाहन मालिक को एक सप्ताह की लिखित नोटिस देकर उक्त माल का निस्तारण कर दिया जाएगा और प्राप्त धनराशि जिलानिधि में जमा कर दी जाएगी।

13. जिला पंचायत अथवा ठेकेदार द्वारा वाहनों से शुल्क वसूली जिला पंचायत द्वारा नियत किए गये स्थल पर कैम्प/अवरोध कर वसूली करेगा।

14. ठेकेदार का निर्धारित एवं नियमित शुल्क के स्टॉम्प पर ठेके के संचालन हेतु अनुबन्ध करना होगा तथा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने पर ठेका निरस्त करने का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, नैनीताल में निहित होगा।

15. जिला पंचायत अथवा ठेकेदार उक्त उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क की वसूली के समय उपखनिज के अभिवहन सम्बन्धी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत रायल्टी प्रपत्र, जे0एम0, रवन्ना, (एम0एम0 11) अथवा अन्य जो भी लागू हो का निरीक्षण करने के उपरान्त ही शुल्क वसूलेगा। अवैध खनन की दशा में जिला पंचायत अथवा ठेकेदार का दायित्व होगा की वह उक्त को सक्षम अधिकारी को तत्काल सूचित करेगा।

दण्ड

जिला पंचायत, नैनीताल, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/वाहन मालिक इस उपविधि की किसी धारा का उल्लंघन करेगा तो अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो ₹ 1,000 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकेगा और ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिससे यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराध करता रहा है ₹ 50 तक हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा, जो तीन माह तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, नैनीताल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट/539–भाग 3–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।